राजस्थान–सरकार

न्यायालय ज़िला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 94/2023 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी – उज्जीवन स्मॉल फाईनेंस बैंक शाखा–दुकान नं. 3 व 4, श्री महालक्ष्मी चैम्बर्स, पुर रोड, एननेक्स्ट से एलजी शोरूम, भीलवाड़ा।	**बनाम**	1. कमलेश सिंह राजपूत पुत्र शैतान सिंह राजपूत निवासी पट्टा नं. 32, ग्राम खायड़ा, ग्राम पंचायत बड़ा महुआं, पं0स0 सुवाणा, जिला भीलवाड़ा 2. हंसा कंवर पत्नि कमलेश सिंह राजपूत निवासी पट्टा नं. 32, ग्राम खायड़ा, ग्राम पंचायत बड़ा महुआं, पं0स0 सुवाणा, जिला भीलवाड़ा।
–– प्रार्थी		––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी– श्री मनीष गुप्ता।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक : 04.08.2023

प्राधिकृत अधिकारी – उज्जीवन स्मॉल फाईनेंस बैंक शाखा–दुकान नं. 3 व 4, श्री महालक्ष्मी चैम्बर्स, पुर रोड, एननेक्स्ट से एलजी शोरूम, भीलवाड़ा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी जिसमें अप्रार्थी को 3,50,000/– रूपये का ऋण दिनांक 09.07.2018 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति–**कमलेश सिंह राजपूत पुत्र शैतान सिंह राजपूत की पट्टा नं. 32, ग्राम खायड़ा, ग्राम पंचायत बड़ा महुआ, पं0स0 सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा स्थित आवासीय सम्पत्ति, जिसका क्षेत्रफल 1219.53 वर्गफीट है** (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 06.10.2021 तक कुल बकाया ऋण की राशि 4,06,899/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 14.05.2021 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।